न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 01/2015

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		गिरधरसिह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (v) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. श्री भगवानसिंह अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.10.2017

1. सायल की ओर से दिनांक 26.6.2015 को गैर सायल गिरधरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (v) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का बदमाश एवं जुआरी है। इसकी अपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके जुर्म से बाड़मेर शहर की आम जनता परेशान है। गैर सायल सार्वजनिक स्थानो पर ताश के पतो पर रूपये दाव पर लगाकर जुआ खेलता है, जिससे सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तथा सभ्य लोगो एवं महिलाओं का आना जाना दूभर कर रखा है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 04 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 में दर्ज होकर, चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा 03 प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–
2. मुकदमा संख्या 115/9.4.2010 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम चालान नंबर 63/21.4.2010 निर्णय दिनांक 17.8.2010 सजा

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

3. मुकदमा संख्या 337/26.8.2011 अन्तर्गत 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 174/9.9.2011 निर्णय दिनांक 1.2.2014 सजा
4. मुकदमा संख्या 485/21.12.2011 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 267/24.12.2011 निर्णय दिनांक 5.3.2012 सजा

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
6. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 25.7.2016 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल न तो अपराध जगत में सक्रिय रहा है एव न ही इसके द्वारा किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कारित किया गया है। गैर सायल द्वारा किसी को जाने से मारने, मारपीट करने या छेड़छाड़ की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, जिससे आमजन में भय हो या सभ्य लोगो व महिलाओं का शहर मे रहना दुर्भर हो गया हो। गैर सायल बाड़मेर जिले का मूल निवासी है तथा यहीं पर मजदूरी का कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज कर बाद में जुर्म स्वीकार करवाये गये। गैर सायल को जिलें से निष्कासित किये जाने से परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की जारी रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।
7. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री बुधाराम बिश्नोई तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।
8. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक बाड़मेर प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज 03 प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर सजा हुई है। सायल पक्ष के साक्ष्य श्री बुधाराम बिश्नोई तत्कालीन थानाधिकारी कोतवाली बाड़मेर ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

तहत 03 प्रकरणों में सजा होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

9. सहायक लोक अभियोजक बाड़मेर प्रथम के तर्को का खण्डन करते हुए गैर सायल के विद्वान वकील ने तर्क किया कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमें बताये गये है, जो राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज किये गये है, जिसमें भी गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण फैसल करवाये गये है। गैर सायल के विरूद्व कोई संगीन अपराध दर्ज नहीं है। गैर सायल वर्तमान में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है। गैर सायल के अलावा उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, जो उसके परिवार का पालन–पोषण करे। गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।

10. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल गिरधरसिंह आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो जुआ खेलने के कार्यो में संलिप्त है। जुआ जैसे घृणित कार्यो में संलिप्त रहने से व्यक्ति के परिवार एवं समाज को कभी भी भारी क्षति हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर में 03 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 (1949 का राजस्थान अधिनियम संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.4 व ईएक्सपी.9 अनुसार गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमों में सजा होना बताया है, ये सभी मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

द्वारा निर्णय दिनांक 17.8.2010, निर्णय दिनांक 1.2.2014 से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल गिरधरसिंह पुत्र खीमसिंह को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल गिरधरसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर